न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा,** (RJS–DJ CADRE)

निर्णय दिनांकः– 02.04.2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 24/2021

सी.आई.एस. नंबरः– 24/2021

सी.एन.आर. नंबरः– RJBR050000512021

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 230/2020, **पुलिस थानाः–** सदर बारां, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. अमृतलाल पुत्र छोटूलाल, उम्र–32 साल, निवासी–बम्बूलिया जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.) 2. रामसिया उर्फ सिया पत्नी अमृतलाल, उम्र–29 साल, निवासी–बम्बूलिया जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री जयेश सक्सेना

B

अपराध की दिनांक	09.03.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.09.2020
आरोप पत्र की दिनांक	27.01.2021
आरोपों की विरचना की दिनांक	28.06.2022
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	28.06.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	02.04.2026
निर्णय की दिनांक	02.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	निल

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	अमृतलाल	19.10.2020	19.10.2020	341, 504, 34 भा.दं.सं. व 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	निल
02	रामसिया उर्फ सिया	19.10.2020	19.10.2020	341, 504, 34 भा.दं.सं. व 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) Sc/St act	दोषमुक्त	निल	निल

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P. W. 01	रामकिशन	परिवादी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.02	महेन्द्र कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.03	लक्ष्मी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

–	–	–

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–</u>

<u>A. अभियोजन प्रदर्श–</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	परिवाद
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी.03/PW.01	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. राममकिशन
04	प्रदर्श पी.04/PW.02	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. महेन्द्र कुमार
05	प्रदर्श पी.05/PW.03	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. लक्ष्मी

<u>B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

<u>C. न्यायालय प्रदर्श–</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

<u>D. वस्तु प्रदर्श–</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

<u>PART–III</u>

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.03.2020 को परिवादी रामकिशन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवाद इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दिनांक 08.03.2020 को परिवादी की लड़की लक्ष्मी बाई मौहल्ले में स्थित सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। अभियुक्ता क्रम 2 ने उसे नल से पानी नहीं भरने दिया तथा उसके साथ अनावश्यक रूप से गाली–गलौच किया गया। जिस पर वह बिना पानी भरे ही वापस घर आ गई थी। दूसरे दिन 09.03.2020 को सुबह 8.00 बजे के लगभग पुनः पानी लेने के लिए

परिवादी की पुत्री नल पर गई तो वहां पर अभियुक्तगण ने बच्ची को उक्त सरकारी नल से पानी नहीं भरने दिया तथा परिवादी की बच्ची को जानबूझकर आम पब्लिक के समक्ष गाली–गलौच किया जाति सूचक शब्दों कोलटिया, ढेडिया आदि से पोस–पोस गालियां दी गई थी जिस पर परिवादी की बच्ची रोती हुई घर पर आई तथा अभियुक्तगण द्वारा कारित उक्त दो दिनों की घटना के बारे में बताया इस पर परिवादी अपनी बच्ची के साथ दिन के 11.00 बजे के लगभग अभियुक्तगण को समझाने के वास्ते उनके घर के सामने गया और निवेदन किया कि तुम लोगों द्वारा मेरी बच्ची को विगत दो दिन से पानी क्यों नहीं भरने दिया जा रहा है। मौहल्ले का सरकारी नल है जिस पर सभी को पानी भरने का अधिकार है। इसी बात को लेकर मुलजिम क्रम–2 घर से चिल्लाते हुए बाहर निकली और कहा कि कोल्टे तू यहां क्या लेने आया? तुम नीच जाति के हो, तुमसे हम लोग अड़ाते–बिठाते नहीं है। तुम्हें हम किसी भी कीमत पर पानी नहीं भरने देंगे और इस प्रकार गाली–गलौच करके परिवादी को भगा दिया गया। तदुपरांत उसी दिन शाम को 5–6 बजे के लगभग परिवादी का लड़का महेन्द्र किसी काम से मुलजिमान के मकान के यहां से निकलकर जा रहा था तो अभियुक्तगण ने एकदम बाहर आकर लड़के को रोक लिया और धमकी दी कि तेरे बाप को समझा लेना नहीं तो ठीक नहीं होगा। अभियुक्त अमृतलाल लटठ लेकर बाहर आया और कहने लगा कि कोल्टो तुम्हें गांव में नहीं रहने देगें और इस प्रकार अभियुक्तगण ने एक आपराधिक साजिश के तहत सआशय पूर्वक परिवादी व उसके बच्चों के साथ अकारण लड़ाई–झगड़ा किया तथा परिवादी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया,..........इत्यादि।

2– न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्वेषण हेतु पुलिस थाना सदर बारां को भिजवाये जाने पर पुलिस थाना सदर बारां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **230/2020** अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504, 509 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(1)(s), 3(2)(va) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 27.01.2021 को अभियुक्तगण अमृतलाल व रामसिया उर्फ सिया के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा **341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा** 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) **अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि दौराने विचारण प्रकरण में परिवादी रामकिशन एवं अभियुक्तगण ने स्वैच्छया राजीनामा हो जाना जाहिर कर एवं न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर धारा 341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा प्रस्तुत किया। जिस पर राजीनामा नियमानुसार बाद जांच तस्दीक किया जाकर मुल्जिमान को दिनांक 23.03.2026 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 504, 34 भा0 दं0 सं0 में बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया है। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में केवल आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का ही विचारण शेष रहा, जिसके संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया तथा जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया एवं अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(ii) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का बहस में तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच करने का कोई कथन अपने बयानों में नहीं किया है। पत्रावली पर परिवादी का जाति प्रमाण पत्र भी पेश नहीं हुआ है। दोनों पक्षों में कहासुनी मात्र हुई थी। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी एवं उसकी पुत्री के साथ ना तो किसी प्रकार की गाली–गलौंच की गयी और न ही उन्हें जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य

उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 रामकिशन जो स्वयं परिवादी/आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि सन् 2020 की घटना है। सुबह 8–9 बजे की बात है। उसकी लड़की मोहल्ले के सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गयी थी। वहां पर उसे अमृतलाल की पत्नी रामसिया मिली, जिसने लक्ष्मी को पानी नहीं भरने दिया व गाली–गलौंच करने लग गयी। फिर वह उसकी बच्ची के साथ अमृतलाल व उसकी घरवाली को समझाने के लिए उनके घर पर गया, उन्होंने हमें रोक लिया और गाली–गलौंच करने लग गए। **हमें कोई जातिसूचक गालिया नहीं निकाली।** उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर **पुलिस बयान प्रदर्श पी.03 का ए से बी हिस्सा एवं इस्तगासा प्रदर्श पी.01 का सी से डी भाग गलत होना बताया है। अभियुक्तगण की ओर से जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि हमारे साथ न तो मारपीट की, न ही जातिसूचक गालियां दी। हमने गांव वालों के कहने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवायी है।**

12– पी.ड. 02 महेन्द्र जो परिवादी का पुत्र है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसकी बहिन लक्ष्मी बाई सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गयी थी, जहां पर उसे अमृतलाल की पत्नी रामसिया ने पानी नहीं भरने दिया। फिर उसके पिताजी और लक्ष्मी बाई उनके घर पर समझाने के लिए गए थे, जहां पर उनकी कहासुनी हो गयी थी। **अमृतलाल और उसकी पत्नी ने उसके पिताजी एवं उसकी बहिन को कोई धमकी नहीं दी एवं न ही कोई जातिसूचक गालियां निकालीं।** उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.04 का ए से बी हिस्सा गलत होना बताया है।

13– पी.ड.03 लक्ष्मी जो परिवादी की पुत्री है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि वह सरकारी हैण्डपम्प पर पानी लेने के लिए गयी थी। वहां पर उसे अमृतलाल की पत्नी रामसिया बाई मिली, जिसने उसे पानी नहीं भरने दिया। **हमें जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया, न ही कोई मारपीट की।** उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 का ए से बी हिस्सा गलत होना बताया है।

14– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–</u>

15– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध **धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध

करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के रूप में अपमानित करने के उद्देश्य से लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किया एवं जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित कर गाली–गलौंच की। इस संबंध में सर्वप्रथम यह विचारणीय तथ्य है कि पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परिवादी का जाति प्रमाण पत्र पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिवादी का अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना प्रमाणित नहीं हो रहा है।

16– इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपने परिवाद प्रदर्श पी.01 में अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक गाली–गलौंच का तथ्य अंकित किया है, किंतु उक्त परिवादी रामकिशन ने न्यायालय में पी.ड. 01 के रूप में परीक्षित होने पर स्पष्टतः कथन किया है कि हमें कोई जातिसूचक गालियां नहीं निकाली। उक्त गवाह ने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर इस्तगासा प्रदर्श पी.01 का ए से बी भाग गलत होना बताया है तथा अभियुक्तगण की ओर से जिरह करने पर इस गवाह ने इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कथन किया है कि हमारे साथ न तो मारपीट की, न ही जातिसूचक गालियां दीं। हमने गांव वालों के कहने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवायी है। इस प्रकार स्वयं परिवादी पी.ड. 01 रामकिशन परिवाद प्रदर्श पी.01 में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं कर रहा है, बल्कि गांव वालों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराना बता रहा है।

17– अन्य साक्षी पी.ड. 02 महेन्द्र कुमार व पी.ड. 03 लक्ष्मी जो परिवादी के पुत्र एवं पुत्री हैं, उक्त दोनों ही गवाहों ने अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक गाली–गलौंच करने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। पी.ड. 02 महेन्द्र कुमार ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.04 का ए से बी हिस्सा गलत होना बताया है। इसी प्रकार पी.ड. 03 लक्ष्मी ने भी पुलिस बयान प्रदर्श पी.05 का ए से बी हिस्सा गलत होना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाहों के बयानों से भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त करना अथवा जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना प्रकट नहीं हो रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार जहां स्वयं परिवादी अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उसे जातिसूचक गालियों से सम्बोधित करने के तथ्य से इंकार कर रहा है तथा परिवादी के पुत्र व पुत्री भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनके कथनों से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है तो यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया हो एवं जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करके अपमानित किया गया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

18– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 341

भारतीय दण्ड संहिता का अपराध यह जानते हुए कारित किया कि परिवादी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। इस संबंध में ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार परिवादी ने जाति प्रमाण पत्र पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। इस प्रकार परिवादी का अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध एक सापेक्षिक अपराध है। अभियुक्तगण को अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित मूल अपराध अंतर्गत धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता कारित किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

19– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण अमृतलाल व रामसिया उर्फ सिया को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

20– अतः अभियुक्तगण **1. अमृतलाल पुत्र छोटूलाल, उम्र–32 साल, निवासी–बम्बूलिया जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.), 2. रामसिया उर्फ सिया पत्नी अमृतलाल, उम्र–29 साल, निवासी–बम्बूलिया जागीर, थाना–सदर बारां, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

21– प्रकरण में परिवादी/आहत व अभियुक्त के मध्य दिनांक 23.03.2026 को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण को बरूए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके अविलम्ब निरस्त करने के आदेश दिये जाते है।

22– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हुआ है। अतः हस्तगत प्रकरण में परिवादी को धारा 357ए दं0प्र0सं0 के तहत किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर राशि दिलवाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

23– इस प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो बाद गुजरने मियाद अपील विधि अनुसार नष्ट किया जावें और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाए।

24– अभियुक्तगण की ओर से धारा 437ए सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)

25– निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज0)